...न्यायालय द्वारा के प्रकरण

प्रकरण में न्यायालय द्वारा के पत्रांक / तहसीलदार /61 दिनांक 29.2.2024 की पालना में तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा उनके पत्रांक / भू.अ. / 2024/741 दिनांक 3/4/2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण में पारित आदेश व डिक्री दिनांक 8/2/2024 में पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार द्वितीय पक्ष में रामचन्द्र, साधु पिता बंशी का नाम नहीं होने से कुल हिस्सा 1 नहीं हो रहा है जबकि प्रस्तावित मौका रिपोर्ट डिक्री में पक्षकारों का नाम है। अत: निर्णय डिक्री के शुद्ध करवाने बाबत रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

पत्र का अवलोकन किया गया। मिसल तलब की गई। पत्रावली व दुर्रुस्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर होता है कि जमा दुर्रुस्त रिपोर्ट में रामचन्द्र, साधुराम पिता बंशी 8/147, 8/147 के हिस्सेदार भी है और पक्षकारान भी है जिसे लिपिकीय त्रुटि / सेहवन से निर्णय व डिक्री आदेश में लिखा नहीं गया। चूंकि उक्त पक्षकार प्रस्तावित अराजीयात के खातेदार है। अत: दुर्रुस्त रिपोर्ट की क्रम सं. 2 में अंकित रामचन्द्र पुत्र बंशी हि. 8/147, साधुराम पुत्र बंशी हि. 8/147 को निर्णय व डिक्री में पारित आदेश दिनांक 8/2/24 के निर्णय व डिक्री के पैरा नंबर 2 में लिखा / जोड़े जाने के आदेश / निर्देश दिये जाते है। उक्त संशोधन / अंकन को नोट द्वारा लाल स्याही से लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

13

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :— श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :— 39/2022

शीर्षक

1. गोपाल पुत्र स्व0 सुजा जाति जाट निवासी दोराकावाली ग्राम माजीपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर राज0

– वादी

बनाम

1. औंकार
2. जगदीश
3. सीताराम

} पुत्रान स्व0 सुण्डाराम

4. गुल्ली देवी पत्नी श्योनाथ
5. मन्नी पुत्री स्व0 सुण्डाराम

समस्त जाति जाट जाति जाट निवासी दोराकावाली ग्राम माजीपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर ।

6. कोयली पुत्री सुण्डाराम पत्नी गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अलठावाली, शाहपुरा जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।
8. उपपंजीयक महोदय , उपपंजीयन कार्यालय अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
9. सुरेश पुत्र रामेश्वर
10. रतनलाल पुत्र रामेश्वर
11. मोहन पुत्र स्व0 सुजा
12. रामबक्स पुत्र स्व0 सुजा

13. बाबूलाल
14. रामचन्द्र
15 साधुराम

} पुत्रान बंशी

समस्त जाति जाट निवासी दोराकावाली ग्राम माजीपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर ।

16. निकिता पत्नी सुभाष लांबा पुत्री बद्रीनारायण
17. पिंकी पत्नी राजू लांबा पुत्री बद्रीनारायण
18. सीता पत्नी मदनलाल पुत्री बद्रीनारायण

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी लांबा की, ग्राम निठारा तहसील शाहपुरा जयपुर ।

19. बिदामी पत्नी बद्रीनारायण जाति जाट निवासी दोराकावाली ग्राम माजीपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर ।

20. शिवदान पुत्र लच्छी देवी पुत्री सुजा
21. मंगली पुत्री लच्छी देवी पुत्री सुजा

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी धूधल्यावाली ग्राम हनुतिया तह0 शाहपुरा जयपुर।

22. जयपुर थार ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा राडावास, तह0 शाहपुरा जयपुर।

– प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 8/2/2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल ख0 नं0 177/0.31, 178/0.34, 179/0.31, 180/0.23, 198/0.24, 199/0.12, 200/0.20, 201/0.23, 202/0.50, 203/0.55, 204/0.55, 205/0.49, 239/ 0.21, 242/0.20, 249/0.07,250/0.11, 257/0.21, 258/0.20, 260/0.24, 261/0.22,262/0.31, 583/3.24, 660/190/0.04, 661/190/0.79, 662/191/0.02, 663/191/0.48 कुल किता 26 कुल रकबा 10.41 है0 भूमि वाकै ग्राम माजीपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर मे स्थित है जिसमे वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 06 तथा प्रतिवादीगण सं0 09 लगा0 21 की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमियो की सह खातेदार बरजी देवी पत्नी सुण्डा तथा लच्छी पुत्री सुजा का स्वर्गवास हो चुका है। बरजी देवी के विधित वारिसान प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 06 है तथा लच्छी देवी के वारिसान प्रतिवादीगण सं0 20 व 21 है। उक्त भूमियो का आज दिन तक भी विधिवत रूप से किसी भी सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय द्वारा तकासमा नही किया गया है उक्त विवादित आराजीयात भूमि सारणी नया खाता सं0 50 में वादी का खातेदारी हिस्सा 4/49 भाग निहित है तथा शेष भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 06 तथा प्रतिवादीगण सं0 09 लगा0 21 की खातेदारी भूमि है जिसका आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा विधिवत तकास्मा नही हुआ है। खातेदार अपने मनबट अनुसार बांट कर काश्त करते चले आ रहे है। वादी विवादित आराजीयात में निहित स्वयं के हिस्से पर प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 06 तथा प्रतिवादीगण सं0 09 लगा0 21 के साथ संयुक्तरूप से काबिज काश्त है तथा संयुक्त रूप से ही कृषि कार्य कर [illegible] उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी राजस्व रिकार्ड में निहित अपने हिस्से अनुरूप लगातार राज्य सरकार को लगान सरकारी अदा करता आ रहा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एवं बाउण्डस के आधार पर विधिवत रूप से तकास्मा किये जाने बाबत अनुरोध किया गया जिस पर प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 06 तथा प्रतिवादीगण सं0 09 लगा0 21 द्वारा वादी को शीघ्र तकास्मा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया जाता रहा तथा वादी के अनेक मर्तबा तलब व तकाजा करने पर भी आज दिवस तक भी विवादित आराजीयात का विधिवत तकास्मा नही करवाया गया। दिनांक 06.04.2022 को प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 06 तथा प्रतिवादीगण सं0 09 लगा0 21 से संपर्क कर विवादित आराजीयात का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत तकास्मा किये जाने बाबत निवेदन करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 06 उग्र हो गये तथा वादी को विवादित भूमि का विधिवत तकास्मा करने से साफ इंकार कर दिया तथा विवादित आराजीयात जो वर्तमान में शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है में बिना विधिवत तकास्मा करवाये ही आवासीय भूखण्डो में विभक्त करने , पुख्ता निर्माण करने बेचान करने की धमकी दी । विवादित आराजीयात में निहित वादी के शामलाती कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि के शांन्तिपूर्ण उपयोग उपभोग से ही वंचित करे, ना ही विवादग्रस्त आराजीयात को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करे, ना ही कोई खाम या पुख्ता निर्माण कार्य करे, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ही

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

कारित करे तथा प्रतिवादीगण सं0 7 विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नही करे तथा प्रतिवादीगण सं0 08 विवादित आराजीयात बाबत किसी विक्रय पत्र एवं लेख पत्र के अपने समक्ष प्रस्तुत होने पर उसे तरदीक नही करे। उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवाये अर्थात प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। यदि विवादित आराजीयात का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत तकासमा नही किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है तो प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 06 विवादित आराजीयात को खुर्द–बुर्द कर देगे तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि का शांतिपूर्ण उपयेग उपभोग नही करने देगे जिससे वादी के साम्पत्तिक अधिकारो पर भारी कुठाराघात होगा जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार से संभव नही हो सकेगी।

अन्त में निवेदन किया गया कि विवादित आराजीयात का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत तकासमा किया जाकर विवादित आराजीयात सारणी नया खाता संख्या 50 में वादी का खातेदारी हिस्सा 4/49 का पर्चा लगान अलग से कायम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जोवे कि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 06 विवादित आराजीयात का बिना विधिवत तकासमा करवाये किसी अन्य दीगर व्यक्ति, संस्थाको हस्तान्तरित नही करे। एवं वादी के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत न तो वे स्वयं पैदा करे न ही अपने एजेन्ट, सवेन्ट, अथवा स्थानापन्न एवं उत्तराधिकारी से करावे जबकि वादी को शांति पूर्वक काबिज एवं आबाद रहकर काश्त करने देवे पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रकरण में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता मदनलाल जाट उपस्थित आये तथा वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया। दिनांक 26.06.2023 को पत्रावली मंहगाई राहत कैम्प जगतपुरा में पेश हुई, जिसमें वादी व प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित आये और वादी व प्रतिवादीगण की पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई। वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं ने राजीनामा पेश कर प्रकरण में राजीनामा अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष को सुना गया तथा वकील उभयपक्ष के द्वारा पेश राजीनामा के अनुसार प्रकरण को दिनांक 26.06.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार तहसील शाहपुरा को बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक /भूअ/2023/3186 दिनांक 05.10.2023 से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील उभयपक्ष ने बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट राजीनामा अनुसार होने से वादपत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष सहमत है और कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने के निवेदन पर उक्त वाद पत्र को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल ख0 नं0 177/0.31, 178/0.34,

179/0.31, 180/0.23, 198/0.24, 199/0.12, 200/0.20, 201/0.23, 202/0.50, 203/0.55, 204/0.55, 205/0.49, 239/0.21, 242/0.20, 249/0.07, 250/0.11, 257/ 0.21, 258/0.20, 260/0.24, 261/0.22, 262/0.31, 583/3.24, 660/190/0.04, 661/190/0.79, 662/191/0.02, 663/191/0.48 कुल किता 26 कुल रकबा 10.41 है0 भूमि वाकै ग्राम माजीपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. ओंकार पुत्र सुण्डा हि0 1/4, जगदीश पुत्र सुण्डा हि0 1/4, सीताराम पुत्र सुण्डा हि0 1/4, बरजी पत्नी सुण्डा हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा राडावास के हिस्से में आराजी ख0 न0 179/0.3100, 180/0.2300, 200/0.2000, 201/0.2300, 202/0.5000, 583/3.2400, 203/1/0.1850, 660/190/1/0.0200, 662/191/1/0.0100, 663/191/1/0.2800 कुल किता 10 कुल रकबा 5.205 है0 भूमि रहेगी।

2. गोपाल पुत्र सूजा हि0 8/49, मोहन पुत्र सूजा हि0 8/49, रामबक्स पुत्र सूजा हि0 8/49 राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा राडावास, बाबूलाल पुत्र स्व0 बंशी हि0 8/147, लच्छी पुत्री सूजा हि0 1/49, निकिता पुत्री बद्री हि0 2/49, पिंकी देवी पुत्री बद्री हि0 2/49, सीतादेवी पुत्री बद्री हि0 2/49, बिदामी देवी पत्नी बद्री हि0 2/49 जाति जाट सा0 देह, राजेश पुत्र रामेश्वर हि0 4/49, सुरेश पुत्र रामेश्वर हि0 4/49 जाति जाट सा0 अनोपपुरा खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 177/0.3100, 178/0.3400, 198/0.2400, 199/0.1200, 204/0.5500, 205/0.4900, 239/0.2100, 242/0.2000, 249/0.0700, 250/0.1100, 257/0.2100, 258/0.2000, 260/0.2400, 261/0.2200, 262/0.3100, 661/190/0.7900, 203/2/0.3650, 660/190/2/0.0200, 662/191/2/0.0100, 663/191/2/0.2000 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 5.205 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 8/2/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अशोक [illegible])
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)

नोट :- न्यायालय आदेश दिनांक 8/5/25 की पालना में निर्णय आदेश के पैरा नंबर 2 में पक्षकार रामचन्द्र पुत्र बंशी हि0 8/147, साधुराम पुत्र बंशी हि0 8/147 को जोड़ा/अंकन किया जाता है। उक्त संशोधन/अंकन डिक्री में भी समझा जावे।

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 39/2022

शीर्षक

1. गोपाल पुत्र स्व0 सुजा जाति जाट निवासी दोराकावाली ग्राम माजीपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर राज0

– वादी

बनाम

1. ओंकार
2. जगदीश
3. सीताराम

} पुत्रान स्व0 सुण्डाराम

4. गुल्ली देवी पत्नी श्योनाथ
5. नन्नी पुत्री स्व0 सुण्डाराम

समस्त जाति जाट जाति जाट निवासी दोराकावाली ग्राम माजीपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर ।

6. कोयली पुत्री सुण्डाराम पत्नी गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अलठावाली, शाहपुरा जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।
8. उपपंजीयक महोदय , उपपंजीयन कार्यालय अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
9. सुरेश पुत्र रामेश्वर
10. रतनलाल पुत्र रामेश्वर
11. मोहन पुत्र स्व0 सुजा
12. रामबक्स पुत्र स्व0 सुजा

13. बाबूलाल
14. रामचन्द्र
15. साधुराम

} पुत्रान बंशी

समस्त जाति जाट निवासी दोराकावाली ग्राम माजीपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर ।

16. निकिता पत्नी सुभाष लांबा पुत्री बद्रीनारायण
17. पिंकी पत्नी राजू लांबा पुत्री बद्रीनारायण
18. सीता पत्नी मदनलाल पुत्री बद्रीनारायण

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी लांबा की, ग्राम निठारा तहसील शाहपुरा जयपुर ।

19. बिदामी पत्नी बद्रीनारायण जाति जाट निवासी दोराकावाली ग्राम माजीपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर ।
20. शिवदान पुत्र लच्छी देवी पुत्री सुजा
21. मंगली पुत्री लच्छी देवी पुत्री सुजा

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी धूधल्यावाली ग्राम हनुतिया तह0 शाहपुरा जयपुर।

22. जयपुर थार ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा राडावास, तह0 शाहपुरा जयपुर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 8/2/2024

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल ख0 नं0 177/0.31, 178/0.34, 179/0.31, 180/0.23, 198/0.24, 199/0.12, 200/0.20, 201/0.23, 202/0.50, 203/0.55, 204/0.55,

[signature]
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

205/0.49, 239/0.21, 242/0.20, 249/0.07, 250/0.11, 257/ 0.21, 258/0.20, 260/0.24, 261/0.22, 262/0.31, 583/3.24, 660/190/0.04, 661/190/0.79, 662/191/0.02, 663/191/0.48 कुल किता 26 कुल रकबा 10.41 है0 भूमि वाकै ग्राम माजीपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. ओकार पुत्र सुण्डा हि0 1/4, जगदीश पुत्र सुण्डा हि0 1/4, सीताराम पुत्र सुण्डा हि0 1/4, बरजी पत्नी सुण्डा हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा राडावास के हिस्से में आराजी ख0 न0 179/0.3100, 180/0.2300, 200/0.2000, 201/0.2300, 202/0.5000, 583/3.2400, 203/1/0.1850, 660/190/1/0.0200, 662/191/1/0.0100, 663/191/1/0.2800 कुल किता 10 कुल रकबा 5.205 है0 भूमि रहेगी।

2. गोपाल पुत्र सूजा हि0 8/49, मोहन पुत्र सूजा हि0 8/49, रामबक्स पुत्र सूजा हि0 8/49 राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा राडावास, बाबूलाल पुत्र स्व0 बंशी हि0 8/147, लच्छी पुत्री सूजा हि0 1/49, निकिता पुत्री बद्री हि0 2/49, पिंकी देवी पुत्री बद्री हि0 2/49, सीतादेवी पुत्री बद्री हि0 2/49, बिदामी देवी पत्नी बद्री हि0 2/49 जाति जाट सा0 देह, राजेश पुत्र रामेश्वर हि0 4/49, सुरेश पुत्र रामेश्वर हि0 4/49 जाति जाट सा0 अनोपपुरा खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 177/0.3100, 178/0.3400, 198/0.2400, 199/0.1200, 204/0.5500, 205/0.4900, 239/0.2100, 242/0.2000, 249/0.0700, 250/0.1100, 257/0.2100, 258/0.2000, 260/0.2400, 261/0.2200, 262/0.3100, 661/190/0.7900, 203/2/0.3650, 660/190/2/0.0200, 662/191/2/0.0100, 663/191/2/0.2000 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 5.205 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 8/2/2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला-जयपुर, ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
अर्जी पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
अर्जी के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.